संदर्भ शर्तें (टीओआर)

सीनियर कंसल्टेंट फाइनांस, पीएम–आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर उपर्युक्त पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है।

पृष्ठभूमि

पीएम–एबीएचआईएम योजना को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए शुरू किया गया था ताकि समुदायों को इस तरह की महामारी/स्वास्थ्य संकटों के प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

उद्देश्य

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में पीएम–एबीएचआईएम के तहत सीनियर कनसल्टेंट फाइनांस को कार्यक्रम प्रभाग का समर्थन करने के लिए योजना के समग्र वित्तीय प्रबंधन की देखरेख करनी है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति डीएस/निदेशक (पीएम–एबीएचआईएम) के समग्र मार्गदर्शन में और एनएचएम–वित्त के साथ निकट समन्वय में काम करेगा।

उत्तरदायित्वः

1. आवश्यकतानुसार वार्षिक/छमाही/त्रैमासिक आधार पर एडीबी, विश्व बैंक और जेआईसीए के दाता प्रत्ययी अनुपालन में समर्थन।

2. पीएम–एबीएचआईएम पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट का फोलोअप और विभिन्न दाताओं को प्रस्तुत करने के लिए लेखा परीक्षक टिप्पणियों पर आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करना ।

3. विभिन्न दाताओं द्वारा समर्थित सभी तकनीकी सहायता (टीए) गतिविधियों के लिए समन्वय।

4. निकासी आवेदन और दाताओं से ऋण प्रतिपूर्ति के दावों को प्रस्तुत करने की समय से तैयारी के लिए आईएच प्रभाग और कार्यक्रम प्रभाग के साथ समन्वय।

5. आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने में सभी राज्यों को सहायता प्रदान करना।

6. सहायता करने और निर्णय लेना सुगम बनाने के लिए पीएम–एबीएचआईएम के तहत कार्यक्रम की गतिविधियों का वित्तीय विश्लेषण करना।

7. कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की पहचान करना और व्यय की बुकिंग, रिपोर्टिंग सिस्टम और ऑडिट अनुपालन सहित समग्र वित्तीय प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों का दौरा करना।

8. पीएम–एबीएचआईएम के तहत धन जारी करना। व्यय और उपयोग प्रमाण पत्र पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

9. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तावित पुनर्विनियोजन/अनुपूरक सहित राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के वित्तीय पुनरीक्षण में सहायता करना।

10. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और एसएनए के कार्यान्वयन में सहायता और हैंडहोल्डिंग।

11. सीएस, सीएसएस और पीएम–एबीएचआईएम के तहत शामिल 15वें वित्त आयोग के घटकों के अंतर्गत गतिविधियों की वित्तीय प्रगति पर समर्थन और समन्वय

12. एकाउंटिंग, रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण इत्यादि सहित वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों/प्रक्रियाओं के बारे में विभिन्न हितधारकों के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/शहर स्तर पर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाएं/ऑरिएंटेशन कार्यक्रम संचालित करना।

13. पीएम–एबीएचआईएम के तहत कार्यशालाएं/सम्मेलन/ बैठकें आयोजित करने में भागीदारी एवं सहयोग।

14 पीएम–एबीएचआईएम गतिविधियों और वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए प्रोग्राम टीम और एनएम–फाइनेंस के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त टीम यात्रा।

15 संसदीय प्रश्नों/समितियों, सीएजी और डीजीएसीई ऑडिट्स, आरटीआई और वीआईपी संदर्भ आदि के लिए वित्तीय आंकड़ों के बारे में एनएम–फाइनेंस के साथ समन्वय।

16 समय–समय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रिपोर्ट देने वाले अधिकारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य/गतिविधि करना।

अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं/आवश्यकताएं

1. मान्यता प्राप्त संस्थान से सीए/एमबीए (फाइनांस)/वाणिज्य में मास्टर डिग्री/पीजीडीबीएम(फाइनांस) पीजीडीबीए (फाइनांस)

2. सामाजिक क्षेत्र/ सरकारी क्षेत्र में कम से कम 6 (छह) वर्ष का न्यूनतम अनुभव। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं/एनएचएम में काम करने का पूर्व अनुभव का अतिरिक्त लाभ होगा।

3 जीएफआर, धन प्रवाह प्रबंधन और सरकारी लेखा प्रणाली/प्रक्रियाओं का ज्ञान।

4 एनएचएम से संबंधित पीआईपी, बजट और वित्त पोषण का ज्ञान। पीएफएमएस को लागू करना और बाहरी एजेंसियों और अन्य सरकारी विभाग के साथ समन्वय सहित बजट और वित्त संबंधी गतिविधियों का अनुभव।

5. नए सॉफ्टवेयर पर काम करने की क्षमता के साथ कंप्यूटर का उन्नत ज्ञान।

रिपोर्टिंग: सीनियर कसन्ल्टेंट (फाइनांस) डीएस/निदेशक, एनएचएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे।

अनुबंध अवधि:

नियुक्ति विशुद्ध रूप से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर होगी, हालांकि, विशुद्ध रूप से भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विवेक से संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, कनसल्टेंसी को आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। तथापि किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का लिखित नोटिस देकर कनसल्टेंसी को समाप्त किया जा सकता है

पदों की संख्या: 1 (एक)

स्थान: दिल्ली

अन्य शर्तें: भारत सरकार/ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्तमान शर्तों के अनुसार

आयु सीमा: 55 वर्ष तक (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक)।

परिलब्धियां: रुपये 90,000 से रु. 1,50,000/– प्रति माह के बीच।

आवेदन कैसे करें: उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन सही तरह से भरने का आग्रह किया जाता है जो एनएचएसआरसी की वैबसाइट http://nhsrcindia.org पर उपलब्ध है। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **13-Jun-2023** है।